

T.S. No. 03/EE/2024-25

DT - 03.09.2024

IRRIGATION DEPARTMENT, UTTARAKHAND



अपार शक्तेः स्त्रौतः गंगेयम्

TS Estimate

BLOCK :

Munsiyari

DISTRICT :

Pithoragarh

STATE :

UTTARAKHAND

YEAR :

2024-25

NAME OF WORK :

Cleaning and Channelisation work of Harariya Nala D/S of Motor bridge for the protection of village Bhaiskhal at Block Munsiyari of Distt Pithoragarh.

CONSTRUCTION COST :

Rs. 10.00 Lacs

EXECUTIVE AGENCY

IRRIGATION DIVISION, DHARCHULA,
PITHORAGARH

CIRCLE OFFICE

IRRIGATION WORKS CIRCLE,
PITHORAGRH

सिंचाई कार्यमण्डल पिथौरागढ़

सिंचाई खण्ड धारचूला

उपखण्ड चतुर्थ, गौचर।

योजना का नाम :-

जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम भैंसखाल की सुरक्षा हेतु हरड़ीया नाले से मोटर पुल के डाउनस्ट्रीम में मलबा सफाई का कार्य।

आंख्या

जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड राज्य का सीमान्त एवं पर्वतीय जनपद है। इसकी भौगोलिक क्षेत्रफल 7218 वर्ग किमी० है। इस जनपद की पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है। ग्राम भैंसखाल जनपद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील में जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़- मुनस्यारी मोटर मार्ग पर लगभग 80 कि०मी० की दूरी पर कमशः हरड़ीया नाले व रामगंगा नदी के बाँयें पार्श्व पर स्थित है।

विगत वर्षों व इस वर्ष मानसून काल में हुई भारी बारिश एवं अतिवृष्टि के कारण हरड़ीया नाले के ऊपर की पहाड़ी टूटने के कारण हरड़ीया नाले में पानी के साथ अत्याधिक मलबा आ गया है, अत्याधिक मलबे के कारण हरड़ीया नाले व रामगंगा नदी के संगम पर मलबा भर जाने से समय समय पर रामगंगा नदी का प्रवाह रुक जाता है एवं रामगंगा नदी के अपरस्ट्रीम में झील बन जाती है। झील बन जाने एवं पानी का स्तर उठ जाने से नदी के बायें पार्श्व पर स्थित ग्राम भैंसखाल को खतरा उत्पन्न हो जाता है एवं यह भी खतरा होता है कि अगर यह झील अचानक टूट गई तो रामगंगा नदी के डाउनस्ट्रीम में स्थित ग्राम नाचनी में बाढ़ आने की सम्भावना हो सकती है। ग्राम भैंसखाल एवं नाचनी की सुरक्षा के लिये चैनलाईजेशन द्वारा इस मलबे को हटाया जाना अति आवश्यक है। उक्त के कम में आबादी की सुरक्षा हेतु स्थानीय जनता एवं जन-प्रतिनिधियों की मांग पर उक्त प्राक्कलन का गठन किया गया था, जिसकी अनुमानित लागत रु० 14.76 लाख आंकी गयी थी, जिसके सापेक्ष राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक संख्या - 1220/न्यूनीकरण निधि/आ०प्र०/2024-25 दिनांक 17 अगस्त 2024 द्वारा रु० 10.00 लाख मात्र का आवंटन हुआ है जिसके कम में प्राविधिक प्राक्कलन में उक्त गाँव की सुरक्षा हेतु हरड़ीया नाले में 135.50 मी० लम्बाई में मलबा हटाये जाने का कार्य प्रस्तावित है।

वर्तमान में योजना का गठन लो० नि० वि० की ऑन लाईन स्वीकृत ब्लॉक मुनस्यारी की दरों के अनुसार वर्ष 2023-24 दिनांक 03.10.2022 की अनुसूची के आधार पर 18 प्रतिशत जी० एस० टी० सम्मिलित करते हुए किया गया है।

अतः प्राविधिक प्राक्कलन लागत रु० 10.00 लाख का अनुमोदन हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता-IV
सिंचाई खण्ड धारचूला

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड धारचूला

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

Cleaning and Channelisation work of Harariya Nala D/S of Motor bridge for the protection of village Bhaiskhal at Block Munsiyari of Distt Pithoragarh.

ABSTRACT OF COST

S.No.	Description of Work	Amount in Rs	
1	Cleaning and Channelisation work of Harariya Nala D/S of Motor bridge for the protection of village Bhaiskhal at Block Munsiyari of Distt Pithoragarh.	9,99,993.96	
	Say	10.00	Lakhs


Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

:: आदेश ::

शासनादेश संख्या-496/XVIII-B 1/2024-12(7)/2018 दिनांक 22.06.2024 एवं शासनादेश संख्या-633/XVIII-B-1/2024-12(7)/2018 दिनांक 03.07.2024 से वित्तीय वर्ष-2024-25 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निम्न कार्य योजना के परम्पत हेतु कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला को 03 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष ₹ 33.50 लाख (₹ तैन्तीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	तहसील/खण्ड/ ग्राम नाम/स्थान नाम	कार्य योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	आंगण वलीगत (रु0 लाख में)	मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
✓ 1.	मुनस्यारी/ मुनस्यारी/ भैसखाल	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम भैसखाल की सुरक्षा हेतु हरडिया नाले से मोटर पुल के डाउन स्ट्रीम में मलबा सफाई का कार्य	सिंचाई खण्ड धारचूला	14.76	10.00 ✓
2.	बंगापानी/ धारचूला/ वल्थी देवीबगड़	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के अन्तर्गत ग्राम वल्थी के तोक देवीबगड़ में आवासीय भवनों की मन्दाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु चैनलाईजेशन का कार्य।	सिंचाई विभाग, धारचूला	14.76	10.00
3.	बंगापानी/ धारचूला/ वल्थी देवीबगड़	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला के अन्तर्गत तहसील बंगापानी के ग्राम वल्थी के तोक देवीबगड़ में आवासीय भवनों की मन्दाकिनी नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा हेतु आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा कार्य (पार्ट-1)	सिंचाई विभाग, धारचूला	19.98	13.50
योग				49.50	33.50

प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा/आहरण वितरण अधिकारी, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ उक्त स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 33.50 लाख का प्रथम किस्त के रूप में 70% ₹ 23.45 लाख (₹ तेईस लाख पैन्तालीस हजार मात्र) को कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, कार्य पूर्ण होने पर अवशेष 30% धनराशि का भुगतान किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार तत्काल कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को Geo tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

- 1- आंगण में उत्तिरिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।
- 2- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

नये करने से पूरे संबंधित नगरीयों संस्था स्थापन का निरीक्षण कर ले तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रोग्राम के रूप में उपलब्ध कराये गयी मनसायि का उपयोग जनहित में अपना प्रभावित क्षेत्र के परिणामों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित नये कराया जाना निरन्तर आवश्यक है।

नये करने से पूरे स्थापन का आगमनानुसार निरूपित आगमन/मानाये। प्रोत्साहन कर स्वयं प्राविनशी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले। निम्न प्राविधिक स्वीकृति के नये प्रारम्भ न किया जाय एवं निम्नीय नियमों का पालन कदाई से किया जाय। जिन आगमनों में रिक्त लिया गया है, नये करने से पूरे माप प्रुरितका से रिक्तले मैजरमेंट हीमैत कराय नयाया तथा इसका सत्यापन अधिशारी अभियन्ता स्वयं करे।

आगमन में जिन मयों हेतु जो साधे आगमन/स्वीकृत की गई है, नया उसी मद में किया जाय। एक मद की साधे का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशारी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई का होगा।

संबंधित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य इसी नये देवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। स्वीकृत मनसायि नये निर्माण कार्यों में कदापित व्यय नहीं की जायेगी।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशारी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त मरम्मत कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

स्वीकृत की जा रही धनराशि देवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक/विभागीय परिसम्पत्तियों पर ही आपके द्वारा प्रस्तुत आगमनों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त आंकलित धनराशि के अनुसार ही खर्च की जायेगी। ध्यान रखें कि सामान्य मरम्मत के कार्य देवी आपदा की परिधि में नहीं आते हैं। अतः स्वीकृत की जा रही सामान्य मरम्मत के कार्यों, नवनिर्माण कार्यों तथा विकास कार्यों में किसी भी दशा में व्यय न करें।

देवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनियमितता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरुपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे एवं लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमत्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का पूर्ण अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

इस मद से कराये जाने वाले कार्यों के सम्यन्ध में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ आवश्यक रूप से रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जाय। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का परीक्षण संबंधित अधिशारी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तदनुसार ही संबंधित कार्य दायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर इस मद से निर्मित कार्य योजना का नाम लागत दिनांक तथा मद का नाम सीगेन्ट वॉकरीट एवं बोर्ड पर अंकित कर दिया जायेगा। कार्य का सत्यापन उप जिलाधिकारियों से कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ तथा सत्यापन आख्या यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशानुसार जनसंघ आपके मास प्रस्तुत किये गये आगमन/तकनीकी परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जा रही जनसंघ का जय हेतु निर्धारित दिना निर्देशों, समय समय पर निर्गत आदेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रक्रिया का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिकारी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

- 4- कार्यदायी संस्था अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला द्वारा नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 में सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित की गई अवधि के अन्दर औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था को निष्पक्ष होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 5- कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के मध्य, कार्य पूर्ण होने के पृथक-पृथक फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन अन्तर्गत संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 6- संबंधित कार्यदायी संस्था सभी अनिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। जिला कार्यालय के दैदी आपदा अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों का सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 7- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित-2017 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक 14 अगस्त, 2024

ह0/-

(रीना जोशी)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़।

संख्या- 1220 / न्यूनीकरण निधि / आ0प्र0 / 2024-25

दिनांक 17 अगस्त 2024

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- उप जिलाधिकारी, धारचूला / मुनस्यारी
- 4- मुख्य कार्यवाहीकारी, पिथौरागढ़।
- 5- अधिकारी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला।
- 6- कार्यालय प्रती।

प्रभारी अधिकारी दैवीय(आपदा)/
अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

Cleaning and Channelisation work of Harariya Nala D/S of Motor bridge for the protection of village Bhaiskhal at Block Munsiyari of Distt Pithoragarh.

BILL OF QUANTITY

Block : Munsiyari

District : Pithoragarh

S.No.	Reference to SOR	Item of Work	Quantity	Unit	Rate in Rs	Amount in Rs
PROTECTION WORK						
1	MISCELLANEOUS 1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without using Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	8130.00	Cum	83.80	681294.00
2	MISCELLANEOUS 1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof.	5081.30	Cum	32.70	166158.51
Total						8,47,452.51
Add 18% G.S.T.						1,52,541.45
Grand Total						9,99,993.96
Say						10.00 Laes

*Checked
J.T.*

Junior Engineer
IVth Sub Division
Gauchar

Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के पत्रांक संख्या - 1220/न्यूनीकरण निधि/आ.प्र./2024-25 दिनांक 17.08.2024 के संदर्भ में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मुन्सियारी के अर्न्तर्गत ग्राम गैसाखल की सुरक्षा हेतु टरहिया नाले से जोर पुल के D/S में बनवा सफाई का कार्य का आवधिक खर्चणन की कुल लागत रु० 10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र) की प्राविधिक स्वीकृति इस प्रतिवेद के साथ प्रदान की जाती है कि स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन के समय कुल पर धरा दिये गये निर्देशों का गालन करते हुए स्वीकृत योजना में प्रामाणित राशि से किसी भी दशा में व्ययविक्रय न किया जाए।

अन्य आवधिक स्वीकृति इस कार्यालय के आवधिक रजिस्टर में रजिस्ट्रार संख्या 03/EE/2024-25, दिनांक 03.09.2024 में दर्जित की गयी है।

अधिसारी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, धारचुला

IVth Sub- Division, Gauchar, Irrigation Division, Dharchula

Cleaning and Channelisation work of Harariya Nala D/S of Motor bridge for the protection of village Bhaiskhal at Block Munsyari of Distt Pithoragarh.

SCHEDULE OF RATE

Block - 49 Munsyari

District - Pithoragarh

Effective Date-

03-10-2022

Block : 49-Munsyari

Zone : II - Distance by foot: Upto 30 Mtr

S.No	S O R Item No.	Item Of Work	Rate in Rs	Unit	Index rate (in %)	Index amount	Total rate
1	MISCELLANEOUS 1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without using Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	83.80	Cum	0.00	0.00	83.80
2	MISCELLANEOUS 1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof.	32.70	Cum	0.00	0.00	32.70

*Later checked
Fit*

Junior Engineer
IV Sub Division
Gauchar

Assistant Engineer-IV
Sub Division
Gauchar

Executive Engineer
Irrigation Division
Dharchula



PWD UTTARAKHAND
SCHEDULE OF RATES

SOR :- MISCELLANEOUS
For Block 49 Munslari

Year :- 2022-23
Effective From:-03-10-2022

Sl. No.	Description	Rate	Unit
---------	-------------	------	------

CHAPTER-1 - General Items

1-1	Earthwork in Hill Road (Hill Side Cutting)		
1-1-1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means		
1-1-1-A	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without using Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1	83.80	Cum
1-1-1-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	32.70	Cum
1-1-2	Excavation in Hilly Areas in Ordinary Rock by mechanical means not requiring blasting (With out Dozer)		
	Excavation in hilly area in ordinary rock not requiring blasting by mechanical means without using Dozer including cutting and trimming of slopes and disposal of cut material with a lift upto 1.5 m and lead upto 20 m as per Clause 1603.2.	133.40	Cum
1-1-3	Excavation in Hilly Areas in Hard Rock requiring blasting		
1-1-3-A	Excavation in hilly areas in hard rock requiring blasting, by mechanical means without using Dozer, lift upto 1.5 m and disposal of excavated rock upto a lead of 20 m as per Clause	326.80	Cum
1-1-3-B	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part thereof	64.20	Cum
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	495.70	Cum
1-3	Random Rubble Stone Masonry laid Dry, in breast walls, retaining walls, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	2,675.80	Cum
1-4	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. complete as per drawing and technical specifications Clauses 702, 704, 1202 & 1203 of MORD Specification	4,483.50	Cum
1-5	Hand Packed stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, T&P etc. complete as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,160.70	Cum
1-6	Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,749.60	Cum
1-7	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications)		
1-7-1	GI wire 10 gauge BWG	2,210.00	Cum
1-7-2	GI wire 8 gauge BWG	2,410.70	Cum
1-8	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions (Zinc plus PVC coated), of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 2.7mm/3.7mm, edge/selvage wire diameter 3.4/4.4 mm and lacing wire diameter 2.2/3.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	9,242.10	No.

Cleaning and Channelisation work of Harariya Nala D/S of Motor bridge for the protection of village Bhaiskhal at Block Munsiyari of Distt Pithoragarh.

DETAILS OF MEASUREMENT

S.No	Item of Work	No			Length (m)	Width (m)	Height (m)	Quantity	Unit
1	Excavation in soil in Hilly Area by mechanical means Without using Dozer including cutting and trimming of side slopes and disposing of excavated earth with a lift upto 1.5 m and a lead upto 20 m as per Technical Specification Clause 1603.1								
	Bed of Gadhera upto 1.5m	1	1	1	135.50	15.00	1.50	3048.75	Cum
	Bed of Gadhera 1.5m to 3.0m	1	1	1	135.50	15.00	1.50	3048.75	Cum
	Bed of Gadhera 3.0m to 4.0m	1	1	1	135.50	15.00	1.00	2032.50	Cum
								8130.00	Cum
							Say	8130.00	Cum
2	Extra for Every Additional Lift of 1.5 m or Part there of.								
	Bed of Gadhera extra lift 1.5m to 3.0m	1	1	1	135.50	15.00	1.50	3048.75	Cum
	Bed of Gadhera extra lift 3.0m to 4.0m	1	1	1	135.50	15.00	1.00	2032.50	Cum
							Grand Total	5081.25	Cum
							Say	5081.30	Cum

Junior Engineer
IVth Sub Division
Gauchar

Assistant Engineer- IV
Sub Division
Gauchar



देवीसुन्दर

↓ रान्जना
↓ River



GPS Map Camera

Kaichuwa, Uttarakhand, India

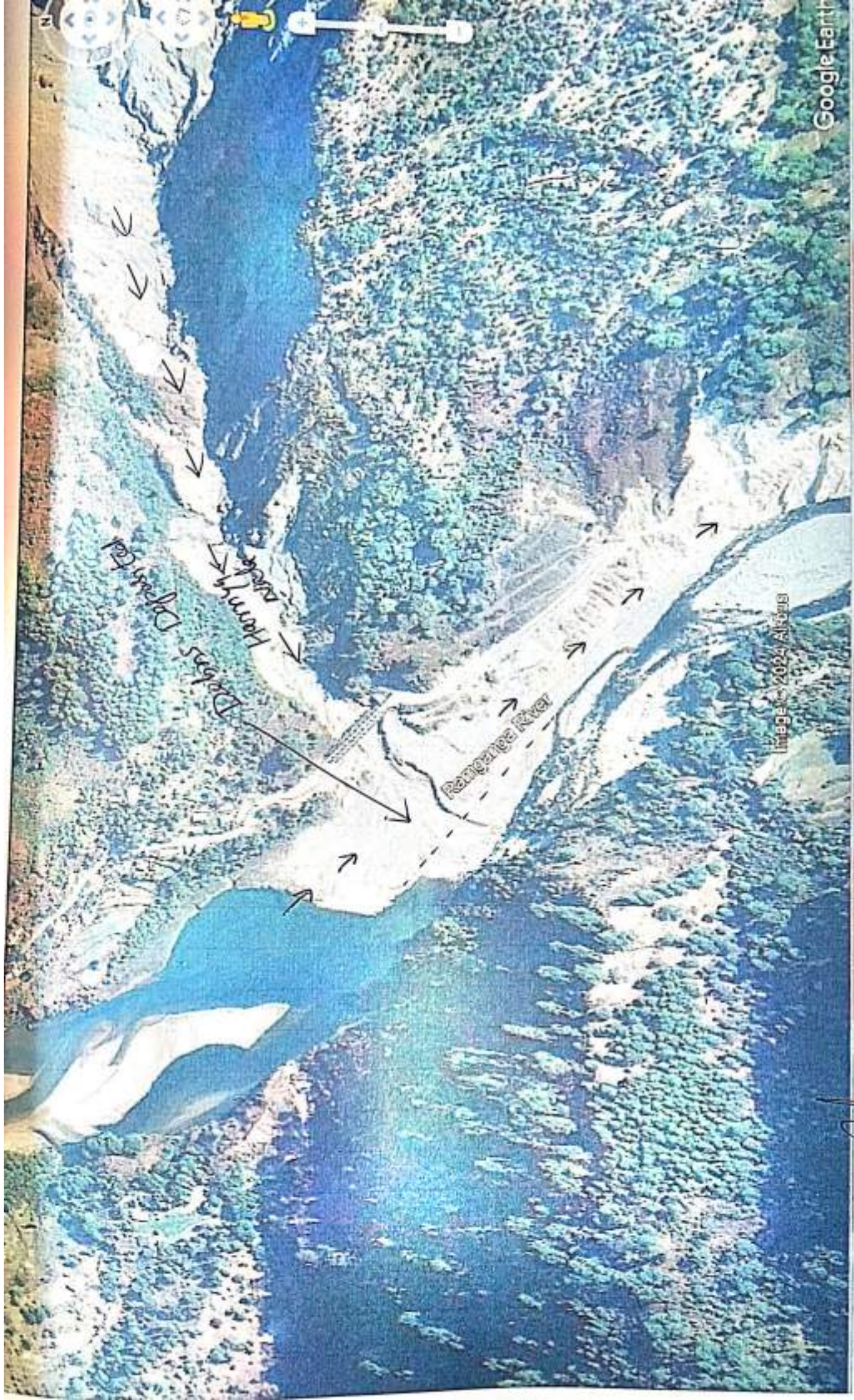
W575+769 Park, Nachani, Kaichuwa, Uttarakhand 262553, India

Lat 29.914296°

Long 80.158318°

20/07/24 01:30 PM GMT +05:30

Google



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.